

**राजस्थान सरकार
वन विभाग**

क्रमांक प. 1 (91)वन/2024

जयपुर, दिनांक :-

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
जयपुर बी-ब्लॉक, अरण्य भवन,
झालाना, जयपुर।

विषय:-Diversion of 6.54 hac. of forest land in favour of Ajmer
Vidyut Vitran Nigam Limited for creation of 33 KV Line to
new grid sub-station Jogniya Mata, Chittorgarh Territorial
division .

संदर्भ:- आपका आक्षेप दिनांक 08.01.2025 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई.डी.एस के क्रम में प्रस्ताव के संबंध में
प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया
प्रकरण में आवश्यक स्वीकृति जारी कराने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(बीजो जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव, वन

Document certified by BIJO JOY
<Joybijo@gmail.com>

Digitally Signed by Bijo Joy
Designation : Special
Secretary To Government
Date :22-04-2025 04:18:34

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

दिनांक 18/11/24

क्रमांक: एफ. 14(50545)2024 / एफसीए / प्रमुवसं. / 3216

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Proposal for diversion of 6.54 ha. "creation of 33/11 KV line to new grid sub station Jogniya mata". (Proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020)

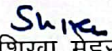
संदर्भ:- आपके ई0डी0एस0 दिनांक 27.09.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई.डी.एस. दिनांक 27.09.2024 द्वारा चाही गयी सूचना क्रम में उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा भिजवाये गये ऑनलाईन प्रस्ताव में प्राप्त सूचना के आधार पर प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

S.N.	Observation	Reply
1	प्रस्ताव में उप वन संरक्षक द्वारा जारी किया जाने वाला Recommendation Letter संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में उप वन संरक्षक द्वारा जारी किया जाने वाला Recommendation Letter पार्ट II में संलग्न है।
2	प्रस्ताव के पार्ट-I में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि की के.एम.एल. फाईल संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के पार्ट-I में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि की के.एम.एल. फाईल संलग्न है।

भवदीया,


 (शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 18/11/24

क्रमांक: एफ. 14(50545)2024 / एफसीए / प्रमुवसं. / 3217-19

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
- उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़।
- Assistant Engineer, AVVNL, Begun.


 (दिनेश कुमार गुप्ता)
 उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
 राजस्थान, जयपुर